

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, कहलगाँव

email id : eerwdekahalgaon@gmail.com

Mob : 8986915834

पत्रांक : 1546 कहलगाँव

दिनांक :- 19/09/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, कहलगाँव।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
State MIS
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के भागलपुर जिला में "प्रगति यात्रा" के दौरान मरम्मत कराये गये पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त MIS पर entry करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक मु०अ०(अ०उ०)-4515-01-128/2025 - 685/पटना, दिनांक 31.03.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के भागलपुर जिला में "प्रगति यात्रा" के दौरान दो पथों में विभागीय रूप से कराये गये कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक मु०अ०(अ०उ०)-4515-01-128/2025 - 685/पटना, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है।

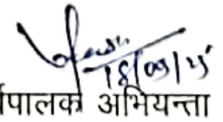
उक्त के आलोक में अनुरोध है कि निम्नलिखित दोनों पथों को योजना शीर्ष MMGSUY (ST) में प्रविष्टि करने की कृपा की जाय।

क्र०	पथ का नाम	पथ की लंबाई (कि०मी० में)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	NH-80 to Rajandipur (VR16)	2.465	10.546
2	Lo28-NH-80 to Gopalpur (VR11)	2.700	69.802

भवदीय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

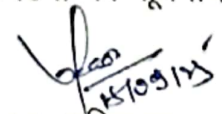

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, कहलगाँव।

दिनांक 19.09.25

ज्ञापांक : 1546 कहलगाँव

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, MMGSUY, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, कहलगाँव।

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-128/2025 - 685
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- 31-03-2025

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0रो0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 07 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि०मी०) एवं स्तम्भ-7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रु० 309.767 लाख रुपये मात्र है, पर (कुल 07 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 05 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 में अंकित कुल राशि 309.767 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

क्र. सं.	जिला	कार्य प्रमण्डल	प्रकल्प	योजना का नाम	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	कुल अनुमोदित राशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6	7
1	Patna	Patna	Daniswan	SH-78 Bihta Sermara Road To Tope Village Via Aiman Bigha, Kundalia	3.025	183.737
2	Aurangabad	Aurangabad	Nabinagar	Permanent Restoration of Box Culvert 3m x 4m over Road Chandragarh to Gajadham Via Mungra Bhagwanpur	0.920	26.788
3	Aurangabad	Aurangabad	Barun	Restoration of Damage Structure NH-2 GT Road to Baradih Riur to Ankoria Station in 3rd Lm Diudhi Nala	1.950	18.894
4	Bhagalpur	Kahalgaoon	Sabour	NH 80 to Rajandipur (VR16)	2.465	10.546
5	Bhagalpur	Kahalgaoon	Sabour	L028-NH-80 to Gopalpur (VR11)	2.700	69.802
Total					11.060	309.767

- मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष -796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष -0110-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जनजाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 37-4515-00-796-0110, मूल बजट उपबंध-75 करोड़ रु० है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-143/2025, दिनांक 27.03.2025 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-128/2025 में दिनांक 30/03/2025 को पृ०-09/टि० पर प्राप्त है।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-128/2025 के पृ0-11/टि0 पर दिनांक-31.03.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव